



2026:AHC: 57046

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 463/2026

सोनू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आशीष सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- 1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शत्रुघ्न यादव को सुना गया।
- 2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 370 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 331(4), 305 और 317(2) के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- 3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यह चोरी का प्रकरण है और झूठे आरोप के आधार पर, विवेचना के दौरान, आवेदक को वर्तमान वाद में अभियुक्त बनाया गया है और यहाँ तक कि सभी अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।
- 4- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, वर्तमान वाद के अलावा आवेदक का 29 अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को दिनांक 05.01.2026 के पूरक शपथ पत्र में विधिवत स्पष्ट किया गया है और सभी वादों में, वह जमानत पर है और अधिकांश वाद चोरी के थे, जिनमें उसे विवेचना के दौरान अभियुक्त बनाया गया है।
- 5- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, वर्तमान मामले में, आवेदक 25.07.2025 से यानी पिछले लगभग आठ माह से कारागार में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8- यद्यपि, वर्तमान वाद के अलावा आवेदक का 29 अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है लेकिन सभी अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और वर्तमान मामले में, आवेदक पिछले लगभग आठ माह से कारागार में है।

9- इसके अलावा, आवेदक के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है और सभी वादों में वह जमानत पर है और सभी वाद चोरी से संबंधित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि, सभी वादों में आवेदक को विवेचना के दौरान अभियुक्त बनाया गया है।

10- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

12- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **सोनू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी (threat) या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



13- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

14- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

एस.ए.